



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 19, मंगलवार, शाके 1943-अगस्त 10, 2021
Sravana 19, Tuesday, Saka 1943- August 10, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आयोजना विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2021

संख्या एफ17(8)14/डीईएस/रा.ज.आ.यो./अधिसूचना-आज्ञा/2019:- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन के संबंध में जारी इस विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या एफ17(8)14/डीईएस/रा.ज.आ.यो./अधिसूचना/2019 दिनांक 05 मई, 2020 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त अधिनियम एवं उसके तदधीन बनाये गये नियमों व विनियमों के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन करती है। उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

क्र.सं.	नाम/पदनाम	प्राधिकरण में पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान	अध्यक्ष
2	प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग	शासकीय सदस्य
3	प्रभारी शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	शासकीय सदस्य
4	प्रभारी शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	शासकीय सदस्य
5	प्रभारी शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	शासकीय सदस्य
6	उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)	शासकीय सदस्य
7	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर शासकीय सदस्य
8	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर शासकीय सदस्य
9	प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य सचिव

उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के अनुसार गैर-शासकीय सदस्यों की पदावधि उनके पद ग्रहण की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त (during the pleasure of the State Government), जो भी पहले हो, होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नवीन जैन,

शासन सचिव।

8933

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।